प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 681 सन 2021
अनवान :–

1. महावीर पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शान्ति उर्फ भली पत्नी धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जयसिह पुत्र धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रेशमी पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. शकुन्तला पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 112/108 की कुल 2.5300हैक एवं खाता संख्या 160/160 की कुल 12.3970हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा मृतक धन्ना वल्द रिखा के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 व मृतक मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 एवं मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम से दर्ज है धन्नाराम वल्द रिखाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो धन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 वादी की बहने है एवं धन्नाराम पुत्र रिखाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 एवं धन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज धन्नाराम पुत्र रिखाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर विरास्तन से वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दो खातों में दर्ज हो चुकी एंव एक खाते में धन्नाराम पुत्र रिखाराम के नाम दर्ज है जिनका देहान्त होने के कारण वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ही हकदार है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक्ट एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 112/108 की कुल 2.5300हैक्ट एवं खाता संख्या 160/160 की कुल 12.3970हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उसके पूर्वज धन्नाराम पुत्र रिखाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर दो खातो में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज हो चुकी है एक खाते में धन्नाराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसे जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक्ट जो सयुक्त खाते में प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के नाम कुल 2.3854हैक्ट भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1.7529हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.6325हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 112/108 की कुल 2.5300हैक्ट भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 6/80 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 160/160 की कुल 12.3970हैक्ट मे से 1581/123970हैक्ट भूमि मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 शान्ति उर्फ भली पत्नी धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जयसिह पुत्र धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. कृष्णा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रेशमी पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. लिछमा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. शकुन्तला पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री धन्ना जाति नाई निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 681 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के खाता संख्या 45/45 की कुल 21.5050हैक जो सयुक्त खाते में प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के नाम कुल 2.3854हैक भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1.7529हैक एवं प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.6325हैक भूमि एवं रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 112/108 की कुल 2.5300हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 6/80 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं खाता संख्या 160/160 की कुल 12.3970हैक मे से 1581/123970हैक भूमि मृतक धन्ना वल्द रिखा के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

Scanned with CamScanner